दैनिक न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

अब सिर्फ सोमवार को ही होगा कलेक्टर जनदर्शन

रायगढ़। प्रति सप्ताह सोमवार व गुरूवार को होने वाले कलेक्टर जनदर्शन के शेड्यूल में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार अब कलेक्टर जनदर्शन प्रति सप्ताह सिर्फ सोमवार पूर्वान्ह 11.30 बजे से होगा। गुरूवार को होने वाले कलेक्टर जनदर्शन को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा।

सर्पदंश से सनूज पटैल की असामायिक मृत्यु पर पत्नी को मिली सहायता राशि

रायगढ़। तहसील खरसिया के ग्राम-पामगढ़ निवासी सनूज पटैल की 6 अगस्त 2020 को सर्पदंश से असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात एसडीएम सारंगढ़ द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के अनुसार मृतक की पत्नी उर्मिला बाई को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को मिलेंगे राज्य स्तरीय प्रोत्साहन पुरस्कार

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के मंशानुरूप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, पदाधिकारियों को राज्य स्तरीय प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया है। पुरस्कार हेतु चयनित व्यक्तियों, संस्थाओं, पदाधिकारियों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग.रायपुर द्वारा 7500 रुपये का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उपरोक्त श्रेणी के पुरस्कार को प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था/ पदाधिकारी द्वारा समयावधि में संपादित निर्वाचकीय कार्यों में अपने योगदान एवं उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए रंगीन फोटो, वीडियो क्लिप, न्यूज पेपर कटिग को संलग्न कर नामांकन राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु प्रारूप में संकलित कर जिला निर्वाचन कार्यालय (सामान्य)रायगढ़ में 15 जनवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें, ताकि प्राप्त नामांकन प्रारूप पुरस्कार हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर को भेजा जा सके।

बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, 20 पुलिसकर्मी घायल

जांजगीर-चांपा। जिले में पुलिस फोर्स से भरी बस को ट्रक ने टक्कर,मार दी है। हादसे में 15 से 20 पुलिसकर्मी घायल हुए है। हादसा शिवरीनारायण क्षेत्र के कनस्दा गांव में हुई है। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घायलों में महिला आरक्षक भी शामिल हैं। बस में करीब 45 पुलिसकर्मी सवार थे। ट्रक के ड्राइवर को झपकी आने से हादसा हुआ। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों का सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर से 45 जवानों को लेकर बस जांजगीर जा रही थी। इसी दौरान सुबह करीब 7.30 बजे शिवरीनारायण क्षेत्र के कनस्दा गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही शोरगुल होने लगा। इस पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और डायल-112 को सूचना। इस पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जवानों को अस्पताल ले जाया गया।

होमआइसोलेशन में रहने वाले कोविड मरीजों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

रायगढ़। राज्य शासन से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार होमआइसोलेशन में रहने वाले कोविड मरीजों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिनके घरों में मरीज के कोरोना पॉजीटिव आने पर मरीज के लिए अलग कमरे के साथ लेट बाथ हो, उस कोरोना पॉजीटिव मरीज को चिकित्सक की सलाह पर होम आइसालेशन की अनुमति दी जायेगी। हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर ही रहेंगे। मरीज को तीन परत वाली मास्क पहनने की सलाह दी गई है, मरीज का ऑक्सीजन सेच्युरेशन 93 प्रतिशत से ज्यादा हो उन्हें होम आइसोलेशन में रखने की इजाजत दी जायेगी। हल्के लक्षण और बिना लक्षण वाले ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन में होंगे उन्हें जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के द्वारा चिन्हांकित चिकित्सक के संपर्क में रहना होगा। कंट्रोल रूम तथा चिन्हांकित चिकित्सक उन्हें समय पर हॉस्पिटल व बेड की मुहैया प्राप्त करा सकेगा। होमआइसोलेशन मरीज बुखार आने पर बुखार की दवा (पैरासिटामॉल) के अलावा किसी भी प्रकार दवा का सेवन बिना चिकित्सक की अनुमति बगैर नहीं करेगा। इसके अलावा सीटी स्कैन व चेस्ट एक्स-रे बिना चिकित्सक के सलाह के नहीं किए जायेंगे।

मरीज को उसके कमरे में ही खाने दें। कमरो की सफाई करते समय मास्क व डिस्पोजल दस्तानों का इस्तेमाल करें। देखभाल करने वाला व्यक्ति लगातार चिकित्सक के संपर्क में रहे। आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने व हर वक्त सक्रिय रखने की सलाह दी गई, मरीज अपने मास्क को हर 8 घंटे पर या मास्क गंदा होने पर इसे कीटाणु रहित करके उन्हें दो भागो में काटकर नष्ट करें। मरीज घर के एक ही कमरें में रहें दूसरे सदस्यों के संपर्क में न आएं। मरीज ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ युक्त भोजन का सेवन करे एवं ठीक से पानी पिये। मरीज को सांस लेने में कठिनाई, सीने में लगातार दर्द या दबाव, होंठ व चेहरे का नीला पड़ने जैसे गंभीर लक्षण विकसित होने पर एसपीओ-2, 93 या उससे कम होने पर अपने चिकित्सक को अवगत कराएं घर पर ऑक्सी पल्समीटर व थर्मास्कैनर अवश्य रखें। प्रतिदिन चार बार ऑक्सी पल्समीटर से ऑक्सीजन लेबल एवं थर्मास्कैनर से शरीर का तापमान की जानकारी नोट करें। दिन में दो बार स्वयं अपने चिकित्सक को अपने स्वास्थ्य की स्थिति से अवगत कराए इसके लिए फोन या व्हाटसप का उपयोग करें। यदि मरीज प्रोटोकॉल की अवहेलना करें तो उसे तत्काल कोविड अस्पताल शिफ्ट किया जायेगा तथा कोई भी गंभीर रोग से ग्रस्त जैसे- ह्दयरोग, कैंसर, किडनी, अकेले रह रहे मरीज को होमआइसोलेशन की पात्रता नहीं होगी। होमआइसोलेशन की अनुमति जिला निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण उपरांत शासन द्वारा मापदंड अनुसार होमआइसोलेशन की अनुमति दी जायेगी।

अधिक जानकारी के लिए सुबह-08:00 से दोपहर 02:00 तक-7647921193, 7647921146, दोपहर 02:00 से रात्रि 08:00 बजे तक- 7647921172, 76479221147, रात्रि 08:00 बजे से सुबह 08:00 बजे तक- 7 6 4 7 9 2 1 1 7 5 , 7 6 4 7 9 2 1 1 2 4 × 7 - 7647921154, 7647921157 आपात कालीन एम्बुलेंस सेवा 108 छ.ग. हेल्पलाइन नं.104 पर संपर्क कर सकते है।

26 एवं 30 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित, देशी व विदेशी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद

रायगढ़। शासन द्वारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी एवं महात्मा गांधी निर्वाण दिवस 30 जनवरी 2022 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर भीम सिंह ने उक्त शुष्क दिवसों पर जिले की समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2घघ), विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ एवं एफ.एल.-3 होटल बार)दुकानों तथा भण्डारण भाण्डागार को पूर्ण रूप से बंद रखने हेतु आदेश जारी किया है। उक्त दिवसों में मदिरा विक्रय/परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर सिंह ने संबंधित विभाग को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।

डॉयल 112 वाहन में गर्भवती महिला ने दी नवजात को जन्म

रायगढ़। पुलिस, फायर और मेडिकल इमरजेंसी के लिये डॉयल 112 की सेवा आमलोगों के लिये बेहद मददगार साबित हो रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 14.01.2022 को थाना छाल अन्तर्गत ग्राम किदाबिरपारा में रहने वाली गोमती बिरहोर पति राजेश बिरहोर उम्र 24 वर्ष को प्रसव पीड़ा पर महिला के पति द्वारा डॉयल 112 को कॉल कर मदद ली गई। मेडिकल इमरजेंसी के कॉल पर छाल राइनो में आरक्षक बसंत लकड़ा, वाहन चालक संदीप चौहान महिला के घर के लिये रवाना हुये और महिला तथा उनके परिवार की महिला को वाहन में बिठाकर सीएचसी हाटी के लिये रवाना हुये, रास्ते में ग्राम पुरंगा के पास महिला को तेज पीड़ा होने पर डॉयल 112 स्टाफ द्वारा वाहन को रोका गया और मितानीन की मदद से महिला का वाहन में बर्पादा प्रसव कराया गया जिसके तत्काल बाद महिला व नवजात को सीएससी हाटी ले जाकर भर्ती कराया गया। सीएचसी की नर्स बतायी कि कुछ और देरी होने पर महिला और नवजात दोनों को खतरा हो सकता था, फिलहाल महिला और नवजात दोनों स्वस्थ हैं।

200 फीट ऊँची पानी टंकी पर चढ़ गई मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला

» जूटमिल पुलिस की तत्परता से टली बड़ी दुर्घटना, आरक्षकों ने सुरक्षित नीचे उतारा

रायगढ़। आज दिनांक 14.01.2022 के दोपहर उस समय हडकंप मच गया जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला जूटमिल क्षेत्र अन्तर्गत भाठिया कॉलोनी के 200 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई थी। जूटमिल पुलिस के आरक्षकों की तत्परता से एक बड़ी दुर्घटना को टाला जा सका। आरक्षकों ने जोखिम भरे कार्य को बड़ी सूझबूझ से करते हुये महिला को नीचे उतारे और उसे समझाइश दिया गया है।

आज दोपहर करीब 03.00 बजे भाठिया कॉलोनी के गोल्डन भाठिया द्वारा चौकी प्रभारी उत्तम साहू को सूचना दिया गया कि उनके कॉलोनी के पानी टंकी के ऊपर एक विक्षिप्त महिला चढ़ गई है। काफी समझाइश के बाद भी नीचे नहीं उतर रही। टीआई उत्तम साहू द्वारा पेट्रोलिंग पार्टी को मौके पर पहुंचकर हालात से अवगत कराने का निर्देश दिया गया। जूटमिल पेट्रोलिंग पार्टी के आरक्षक प्रकाश गिरी गोस्वामी, कीर्तन यादव, प्रताप बेहरा, सत्या यादव व अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचे। पानी की टंकी ऊपर एक विक्षिप्त महिला चढ़कर बैठी हुई थी। तुरंत दो आरक्षक पानी टंकी की सीढियों से ऊपर चढे और महिला को समझा बुझाकर सीडी रेलिंग से नीचे लेकर आये, उसकी अवस्था को देखकर आरक्षकों द्वारा उसे होटल मंड़ भोजन कराकर समझाइश दिये कि आगे कभी ऐसे जोखिम भरे कार्य न करें। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला आसपास के ही इलाके की रहने वाली है। जूटमिल स्टाफ महिला के वारिशानों का पता कर रही है। बहरहाल विक्षिप्त महिला की हरकत जानलेवा हो सकती थी जिसे आरक्षकों द्वारा बड़ी सूझबूझ से टाल दिया गया।

डोंगरीपाली और पुसौर क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के ठिकानों पर पुलिस की रेड कार्रवाई

» डोंगरीपाली के झरना जंगल में दो आरोपियों से 30 लीटर महुआ शराब जब्त

» पुसौर के टपरदा में 30 लीटर महुआ शराब के साथ दो आरोपी पकड़े गए

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर दिनांक 13.01.2022 को अवैध शराब पर सभी थानाक्षेत्र अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। जूटमिल क्षेत्र में 02 कार्रवाई में 60 लीटर शराब की जप्ती की गई है। वहीं डोंगरीपाली और पुसौर क्षेत्र में भी अवैध शराब बनाने के ठिकानों पर की गई कार्रवाई जिसमें शराब बनाते पकड़े गये आरोपियों से 30-30 लीटर शराब की जप्ती की गई है।

दिनांक 13.01.2022 को थाना प्रभारी डोंगरीपाली निरीक्षक जितेन्द्र एसैया को मुखबिर से सूचना मिला कि दो व्यक्ति ग्राम लीमपाली मुडा के पास झरना जंगल में अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री हेतु बना रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी हमराह स्टाफ एवं गवाहों को लेकर मौके पर ग्राम लीमपाली मुडा के पास झरना जंगल में घेराबदी कर रेड कार्यवाही किये। जहां दो व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब बनाते एवं बिक्री के लिए रखे हुए मिले जिनसे नाम पता पूछने पर एक व्यक्ति अपना नाम अश्वनी सिदार पिता बउला सिदार उर्म्25 वर्ष सा- केरमेली थाना डोंगरीपाली तथा दूसरा व्यक्ति अपना नाम निरंजन बरिहा पिता गौरव बरिहा उर्म्24 वर्ष सा. ग्राम लोटीपाली थाना भठली जिला बरगढ ओडिसा का रहने वाला बताया जिनके से एक मोटर ट्यूब में भरा करीबन 30 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती करीबन 3,000 रूपये एवं एक सिल्वर का गंज किमती करीबन 1000 रूपये जप्त किया गया है। आरोपियों पर धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

पुसौर पुलिस द्वारा दिनांक 13.01.2022 को मुखबिर सूचना पर ग्राम टपरदा के पुजारी खेत में दबिश दिया गया, पुलिस को सूचना मिली थी कि तीन व्यक्ति शराब बना रहे हैं। पुलिस की दबिश दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागा, मौक पर जेठुराम खुंटे पिता स्व0 मालिक राम खुटे उम्र 60 वर्ष, रोहित सारथी पिता स्व0 उज्जवल सारथी उम्र 50 वर्ष दोनो निवासी ग्राम टपरदा थाना पुसौर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों द्वारा मौके से सुन्दरलाल सारथी पिता स्व0 उज्जवल सारथी निवासी टपरदा को 10 लीटर महुआ शराब लेकर भागना बताया। तीनों आरोपियों पर धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है।

खरसिया व लैलूंगा ब्लाक में कोविड से मृत लोगों के वारिसानों को अनुग्रह सहायता अनुदान राशि स्वीकृत

रायगढ़। छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा जारी आदेशानुसार रायगढ़ जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस से मृत व्यक्तियों के परिजनों व आश्रितों को कलेक्टर रायगढ़ के अनुमोदन उपरांत संबंधित अनुविभाग के एसडीएम व तहसीलदार के प्रकरण पश्चात पात्र पाए गए 15 मृतकों के नजदीकी वारिसानों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

कलेक्टर कार्यालय, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील खरसिया अंतर्गत 14 व्यक्ति जो कोविड से मृत्यु पश्चात पात्र पाए गए इनमें सवारिया लाल, सुभाष अग्रवाल, अब्दुल गफ्फार, उत्तम लाल पटेल, ब्रिज कुमार, चुड़ामणी, कबिता धनुवार, भिरेन्द्र मैत्री, सुरेश राम, बजरंग लाल, पानादेवी, भुवनलाल, रमेश कुमार एवं ओमप्रकाश तथा लैलूंगा ब्लाक अंतर्गत नानसाय लकड़ा शामिल है।

केडार पुलिस ने गुम बालिका को 24 घंटे के भीतर ढूंढ निकाला

» नाबालिक बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला युवक गिरफ्तार

रायगढ़। आज दिनांक 14.01.2022 को थाना केडार आकर रिपोर्टकर्ता द्वारा उसकी नाबालिग पोती को गांव के युवक द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराने आया। रिपोर्टकर्ता बताया कि बालिका के माता-पिता बाहर कमाने खाने गए हैं। बालिका उसके देखरेख में हैं, आज सुबह से बालिका घर पर नहीं है। रिपोर्टकर्ता द्वारा ग्राम ठेंगाकोट के शिवम दास महंत के ऊपर बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने की शंका व्यक्त किया गया, रिपोर्टकर्ता के रिपोर्ट पर थाना प्रभारी केडार उपनिरीक्षक झामलाल मार्को द्वारा संदेही शिवम मानिकपुरी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 05/2022 धारा 363 भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन एवं मार्गदर्शन पर अपने स्टाफ को बालिका एवं संदेही की पतासाजी में लगाया गया। थाना प्रभारी द्वारा बालिका के वारिसानो से संदेही एवं आरोपी के होने के संभावित स्थानों पर पुलिस टीमें भेजी गई। पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा आज सुबह से थाना क्षेत्र एवं सारंगढ़, सरसीवा आसपास के कई स्थानों में दबिश दिया गया। थाना सरसीवा क्षेत्र में संदेही के होने की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम दबिश देकर आरोपी शिवम दास मानिकपुरी पिता सहनु दास मानिकपुरी उम्र 21 वर्ष निवासी ठेंगाकोट थाना केडार के कब्जे से बालिका को दस्तयाब कर थाना लाया गया है। बालिका के कथन पर प्रकरण में धारा 366, 376, भादवि 4,6 पास्को एक्ट जोड़ी गई। वहीं आरोपी शिवम दास मानिकपुरी की गिरफ्तारी की शेष कार्यवाही पूर्ण कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

कभी मजदूरी के लिए चलाते थे दूसरों का वाहन, अब बने स्वयं वाहन मालिक

रायगढ़। शासन की योजनाएं किस तरह लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है, इसका अंदाजा नवागांव निवासी देवसिंह राठिया के जीवन में आए बदलाव से लगाया जा सकता है। जो कभी मजदूरी के लिए दूसरों का वाहन चलाते थे। उनके दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप वो आज स्वयं वाहन के मालिक बन चुके है। पिछड़े एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शासन की योजनाएं काफी मददगार साबित हो रही है। ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन स्वयं का रोजगार करना चाहते है। उनके सामने वित्तीय समस्याएं सबसे बड़ी अड़चन होती है। लेकिन राज्य शासन द्वारा लोगों के वित्तीय समस्याओं को अपनी योजनाओं के माध्यम से दूर कर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार वर्गो के आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता अल्प ब्याज पर ऋण स्वरूप प्रदान कराई जा रही है। जिससे शिक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग स्वयं का रोजगार निर्मित कर आज स्वावलंबी बन रहे है। विकासखंड रायगढ़ के ग्राम नवागांव के देवसिंह राठिया अपनी आजीविका के लिए कृषि और मजदूरी कार्य पर निर्भर थे। देवसिंह राठिया कृषि और मजदूरी से होने वाले आय से परिवार का भरण-पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। जिसके कारण उन्हें अतिरिक्त आय के लिए दूसरे के पास वाहन चालक का कार्य भी करना पड़ता था। नियमित कार्य के अभाव और मेहनत अनुरूप आय नहीं होने पर उन्होंने वाहन चालन की अपनी योग्यता को खुद के व्यवसाय में लगाने की सोची। जिससे उन्हें उनके मेहनत के हिसाब से मुनाफा मिल सके।

जिसके लिए उन्होंने स्वयं का वाहन खरीदने का फैसला लिया। उन्हें अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित गुड्स केरियर योजनांतर्गत इकाई लागत 6 लाख 25 हजार में स्वीकृत इकाई, गुड्स कैरियर(माल वाहक वाहन) राठिया को योजनानुसार जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 में पिकअप वाहन को 8 प्रतिशत के साधारण ब्याज दर पर ऋण स्वरूप उपलब्ध कराई गई। जिससे आज देवसिंह राठिया स्वयं वाहन के मालिक बन चुके है। वाहन के क्रय के पश्चात राठिया के जीवन स्तर में काफी बदलाव आ चुका है। राठिया आज परिवार का भरण-पोषण सुगमता से कर पा रहे है। देवसिंह राठिया कहते है शासन की योजना ने उनका जीवन बदल दिया। अंत्यावसायी समिति कि ऋण की मासिक किश्त की राशि एवं वाहन मेन्टेनेंस के बाद 12-15 हजार की बचत हो रही है। जिससे वो अपने परिवार की जरूरतों एवं सुख-सुविधाएं के संसाधनों को बड़ी आसानी से जुटा पा रहे है। जिसके लिए उन्होंने शासन को इस योजना के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480